e-Circular

Dept: PPG & HRMS Cell
Sl.No. : 05 / 2024-25
Circular No : 208 /2024-25
Friday, November 01, 2024

आरएमजीबी
RMGB

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 एवं राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 का क्रियान्वयन – पेंशनधारक एवं कुटुम्ब पेंशनधारक का जीवन प्रमाण पत्र

बैंक द्वारा जारी परिपत्र संख्या : 176 पेंशन/61/2018–19 दिनांक 01.01.2019, परिपत्र संख्या : 85 कार्मिक/37/2019–20 दिनांक 06.07.2019 हेतु, परिपत्र संख्या : 169/पीपीजी/39/2020–21 दिनांक 30.10.2020, सभी शाखाओं को पत्र 128/पीपीजी/26/2020–21 दिनांक 03.12.2020 एवं ई–परिपत्र संख्या : 201/पीपीजी/04/2024–25 दिनांक 23.10.2024 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा कार्मिकों के सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले परिलाभों के संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु दिशा निर्देश एवं प्रपत्रों के प्रारूप एवं प्रतिवर्ष माह नवम्बर में सभी पेंशनधारकों (सेवानिवृत्त कार्मिकों) से जीवन प्रमाण पत्र एवं मृत कार्मिकों के कुटुम्ब पेंशनधारकों से जीवन प्रमाण पत्र व **Certificate of Non-Re Marriage / Non Marriage** प्रेषित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये थे। इसी क्रम में बैंक द्वारा **JEEVAN PRAMAAN PORTAL** पर बैंक (RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK) को **Onboard** करवाया गया हैं जिससे अब **Life Certificate & Certificate of Non-Re Marriage / Non Marriage** प्रस्तुत करने की **ON LINE** सुविधा प्रारम्भ हो गई है। अतः अब पेंशनधारक (सेवानिवृत्त कार्मिक) द्वारा अपना जीवन प्रमाण पत्र एवं मृत कार्मिकों के कुटुम्ब पेंशनधारक अपना जीवन प्रमाण पत्र व **Certificate of Non-Re Marriage / Non Marriage** किसी भी ई मित्र सेवा केन्द्र पर जाकर **ON LINE** भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः इस क्रम में लेख हैं कि :–

1. **सभी पेंशनधारकों (सेवानिवृत्त कार्मिकों) को प्रतिवर्ष माह नवम्बर में जीवन प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना आवश्यक हैं।** सभी पेंशनधारक (सेवानिवृत्त कार्मिक) पेंशन भुगतान शाखा के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र (Format 6–पेंशनर हेतु) एवं ईपीएस पेंशन का विवरण संलग्न प्रारूप में दो प्रतियों में अद्यतन कर **दिनांक 20.11.2024** तक सुपुर्द करेंगे अथवा पेंशनधारक (सेवानिवृत्त कार्मिक) अपना जीवन प्रमाण पत्र किसी भी ई मित्र सेवा केन्द्र पर जाकर **ON LINE** भी प्रस्तुत कर सकेंगे।

2. **मृत कार्मिकों के कुटुम्ब पेंशनधारकों को प्रतिवर्ष माह नवम्बर में जीवन प्रमाण पत्र एवं Certificate of Non-Re Marriage / Non Marriage प्रेषित किया जाना आवश्यक हैं।** सभी मृत कार्मिकों के कुटुम्ब पेंशनधारक पेंशन भुगतान शाखा के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र (Format 6–कुटुम्ब पेंशनर हेतु) व Certificate of Non-Re Marriage/Non Marriage (Format 8) एवं ईपीएस पेंशन का विवरण संलग्न प्रारूप में दो प्रतियों में अद्यतन कर **दिनांक 20.11.2024** तक सुपुर्द करेंगे अथवा कुटुम्ब पेंशनधारक अपना जीवन प्रमाण पत्र किसी भी ई मित्र सेवा केन्द्र पर जाकर **ON LINE** भी प्रस्तुत कर सकेंगे।

   कुटुम्ब पेंशनधारक द्वारा JEEVAN PRAMAAN PORTAL के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर By Default यह माना जायेगा कि उन्होनें अभी तक पुनर्विवाह नही किया हैं, यदि किसी कुटुम्ब पेंशनधारक द्वारा पुनर्विवाह किया गया हैं तो वह इस आशय की सूचना पेंशन भुगतान शाखा एवं पीपीजी एवं एचआरएमएस प्रकोष्ठ प्रधान कार्यालय, जोधपुर को अविलम्ब प्रेषित करेंगे। किसी कुटुम्ब पेंशनधारक द्वारा अपने पुनर्विवाह की सूचना पेंशन भुगतान शाखा को देने पर उक्त शाखा तुरन्त पीपीजी एवं एचआरएमएस प्रकोष्ठ प्रधान कार्यालय, जोधपुर को सूचित करेगी।

3. भविष्य निधि कार्यालय द्वारा ईपीएस पेंशनधारकों की पेंशन में संशोधन किया गया हैं, अतः पेंशनधारक (सेवानिवृत्त कार्मिक) एवं मृत कार्मिकों के कुटुम्ब पेंशनधारक को भविष्य निधि कार्यालय से प्राप्त होने वाली ईपीएस पेंशन राशि जिस खाते में जमा हो रही हैं, उस खाते की Passbook/Statement की प्रति (जिसमे ईपीएस पेंशन राशि 1 अप्रेल,2023 के बाद जमा की गई हो) हमें प्रेषित करें।

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक PPG & HRMS CELL प्रधान कार्यालय - जोधपुर

सभी शाखा प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता हैं कि उनकी शाखा में जिन पेंशनधारकों (सेवानिवृत कार्मिकों) एवं मृत कार्मिकों के कुटुम्ब पेंशनधारकों के खाते हैं, उनके स्वयं शाखा में उपस्थित होने पर जीवन प्रमाण पत्र (Format 6) के प्रारूप मे सभी सूचना अंकित करवा कर उनके हस्ताक्षर /अंगूठा निशान करवावें तथा हस्ताक्षर का सत्यापन खाते में किये गये हस्ताक्षर से करने के पश्चात् ही शाखा प्रबन्धक अपने हस्ताक्षर, अपना नाम, आई. डी. संख्या एवं पद मय सील अंकित कर उनके जीवन प्रमाण पत्र, **Certificate of Non-Re Marriage / Non Marriage** (Format 8) व अन्य प्रपत्र दिनांक 25.11.2024 तक प्रधान कार्यालय पेंशन प्रकोष्ठ को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जीवन प्रमाण पत्र व **Certificate of Non-Re Marriage / Non Marriage** (Pension Format 8) की एक प्रति शाखा अभिलेख में सुरक्षित रखें।

समस्त शाखा प्रबन्धक/प्रभारी/क्षेत्रीय प्रबन्धक/विभागाध्यक्ष/सहायक महाप्रबंधक इस ई–परिपत्र की विषयवस्तु अपने अधीनस्थ सभी कामिकों के ध्यान में लाना सुनिश्चित करें। साथ ही इस ई–परिपत्र की एक प्रति शाखा/कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगावें तथा अपने परिचित/संपर्क में आने वाले पेंशनधारकों (सेवानिवृत कार्मिक) एवं मृत कार्मिकों के कुटुम्ब पेंशनधारकों के भी ध्यान में लाना सुनिश्चित करें।

उक्त ई–परिपत्र की प्रति बैंक की वेबसाइट www.rmgb.in पर भी अपलोड की जा रही हैं। तद्नुसार पेंशनधारकों/ कुटुम्ब पेंशनधारकों को अवगत करावें।

(शम्भु दयाल महावर)
महाप्रबन्धक

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक PPG & HRMS CELL प्रधान कार्यालय - जोधपुर

संलग्न : यथोक्त

(पेंशनर हेतु)

FORMAT - 6

.... **STAFF PENSION* (GENERAL PENSION)**		**Customer ID**	
.... **FAMILY PENSION***		**S B A/C No**	

*(*Please √ as applicable)*

LIFE CERTIFICATE

(To be submitted by the Pensioner once in a year in November)

Certified that I have seen the pensioner .... (name)

....

.........................(address) holder of PPO No................................. and that he /she is alive on this day. His / Her AADHAAR No ....

(Signature of the Pensioner/Family Pensioner with date)

(Signature with office seal)

Date:........................ Name:...

Place:.................... Designation:.....................Branch: ... .

ई.पी.एस. पेंशन का विवरण

मुझे भविष्य निधि कार्यालय द्वारा प्रतिमाह माह अप्रेल,2023 से माह........................,2024 तक ईपीएफ पेंशन की राशि रूपये ....(अक्षरे रूपये ....मात्र मेरे खाता संख्या ....में जमा हुई हैं, साक्ष्य स्वरूप उक्त खाते की पास बुक/खाते के विवरण पत्र की प्रति संलग्न हैं ।

दिनांक (पेंशनर के हस्ताक्षर)

संलग्न : पास बुक/खाते के विवरण पत्र की प्रति

(कटुम्ब पेंशनर हेतु)

FORMAT - 6

.... STAFF PENSION* (GENERAL PENSION)		Customer ID	
.... FAMILY PENSION*		S B A/C No	

*(*Please √ as applicable)*

LIFE CERTIFICATE

(To be submitted by the Pensioner once in a year in November)

Certified that I have seen the pensioner .... (name) ....(address) holder of PPO No................................... and that he /she is alive on this day. His / Her AADHAAR No ....

(Signature of the Pensioner/Family Pensioner with date)

(Signature with office seal)

Date:.........................   Name:..

Place:.....................   Designation:......................Branch: ... .

FORMAT – 8

CERTIFICATE OF NON- REMARRIAGE / NON-MARRIAGE (APPLICABLE *FOR FAMILY PENSIONERS ONLY*)

* I hereby declare that I have not got re-married and I undertake to report the same promptly in the event of my re-marriage. (Applicable for widow / widower Family Pensioner)

* I hereby declare that I am not married and I undertake to report the same promptly in the event of my marriage. (Applicable for un-married daughter Family Pensioner)

(* Please delete which is not applicable)

Signature of the Family Pensioner:

Name of the pensioner: ....

Place :..Date: ....

I certify to the best of my knowledge and belief the above statement is correct.

(Signature of the Bank's Officer or respectable /well known person)

Place : .... Date ....

Name : .... Designation:...

Address: ....

....

P.T.O.

ई.पी.एस. पेशन का विवरण

मुझे भविष्य निधि कार्यालय द्वारा प्रतिमाह माह अप्रेल,2023 से माह..........................,2024 तक ईपीएफ पेंशन की राशि रूपये ....(अक्षरे रूपये ....मात्र मेरे खाता संख्या ....में जमा हुई हैं, साक्ष्य स्वरूप उक्त खाते की पास बुक/खाते के विवरण पत्र की प्रति संलग्न हैं ।

दिनांक **(कुटुम्ब पेंशनर के हस्ताक्षर)**

संलग्न : पास बुक/खाते के विवरण पत्र की प्रति

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक
PPG & HRMS CELL
प्रधान कार्यालय - जोधपुर